न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 12/2021

उनवान जरनैल सिह बनाम गुरमेल सिह वगैरा

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

जरनैल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी इन्द्रगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

बनाम्

1. गुरमेल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
2. अजमेर सिंह पुत्र बलवीर सिंह
3. हरमेल सिंह पुत्र बलवीर सिंह
4. बूटा सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
5. राम सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह
6. करनैल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया

जाति जटसिख निवासीगण इन्द्रगण तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0.

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी का पंजीयन पता व्यवहार प्रकीया संहिता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक मे दर्शाया गया है। प्रार्थी एव अप्रार्थी स 6 के नाम चक न 5 पी.टी.पी के खाता स 13/13 ज.स 2070–2073 मे 3.652है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है इसे प्रार्थी ने कब्जा काश्त प.न 134/134 मु.न 43 कि.न 11,12,14,15,18,19,20 व इसी चक के खाता स 20/18 मे प.न 134/133 मु.न 43 कि.न 1 कब्जा काश्त मे है उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी स 6 के पिता गुरदयाल सिंह की मृत्यु हो चूकि है प्रार्थी एव अप्रार्थी स 6 ही मृतक गुरदयाल सिंह के जायज वारिस है उक्त खातो की जमाबंदी सलगन प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी स 1 ता 5 के नाम चक न 5 पी.टी.पी के खाता स 57/20 ज.स 2070–73 मे कुल 3.282है दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त खाता मे प.न 134/133 मु.न 43 के किला न 10 का कब्जा काश्त अप्रार्थी स. 1 ता 3 का है उक्त खाता की जमाबंदी सलग्न वाद पत्र है। प्रार्थी का कब्जा काश्त चक न 5 पी.टी.पी के खाता स 13/13 प.न 134/133 मु.न 43 कि.न 11 ता 15 ,18 ता 20 मे आने जाने हेतू रास्ता नही है इसलिए प्रार्थी चक न 5 पी.टी.पी के प.न 134/133 मु.न 43 के किला न 1 व 10 मे किला न 5 व 6 से चिपता पश्चिम दिशा मे उतर से दक्षिण लम्बा 10 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है इसमे किला न 1 प्रार्थी के कब्जा काश्त मे है किन्तु किला न 10 अप्रार्थी स 1 ता 3 के कब्जा काश्त मे है यही रास्ता प्रार्थी के खेत के निकटतम स्वीकृत रास्ता से है उक्त रास्ते की भूमि के बदले भूमि बाजार मूल्य जो अप्रार्थी उचित समझे प्रार्थी देने के लिए तैयार व तत्पर है अत प्रार्थी चक न 5 पी.टी.पी 134/133 मु.न 43 कि.न 1 व 10 मे कि.न 5 व 6 से चिपता 10 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है प्रार्थी ने अप्रार्थी से कई बारी निवेदन किया कि प्रार्थी के कब्जा काश्त मे आने जाने हेतू रास्ता स्वीकृत करवा दो व प्रार्थी से इतनी भूमि के एवज मे भूमि या राशी प्राप्त कर लेवे अप्रार्थी पहले तो टालते रहे किन्तु बाद मे पिछले सप्ताह प्रार्थीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गये बस यही दावा का कारण है।

अत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए प्रस्तुत कर चक न 5 पी.टी.पी प.न 134/133 मु.न 43 के किला न 10 म 0.015 है प्र (10 फुट चौडा) कि.न 5 व 6 से चिपता उतर से दक्षिण लम्बा कुल 0.030 है रास्ता स्वीकृत कर इसी अनुसार रास्त चालू करवाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.09.10 14:54:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत जो शामिल पत्रावली किया। अप्रार्थी संख्या 6 जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी सहमति दी गई। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 334 दिनांक 20.04.2021 द्वारा प्रार्थी द्वारा अपने खेत में जाने के लिए चक 5 पीटीपी के प.न. 134/133 मू.न. 43 किला नं. 1 व 10 में 0.015 है.प्र.(10 फुट चौड) किला न. 5,6 से चिपता हुआ उत्तर–दक्षिण रास्ता चाहा गया है जो निकटतम है एवं प्रार्थी को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आव यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के पार्थना पत्र के निस्तारण हेतु 'रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता' एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 पीटीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थीगण के रकबा में से चक 5 पीटीपी के प.न. 134/133 मू.न. 43 किला नं. 1 व 10 में 0.015 है.प्र.(10 फुट चौड़) किला नं. 5,6 से चिपता हुआ उत्तर–दक्षिण रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिशिचित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 5.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.10 14:54:06 IST
Reason: SelfAttested